(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 12/2025
पंजीकरण संख्या :— 2025/49

बउनवान

1— राधेश्याम आयु 36 वर्ष पुत्र मानसिंह जाति खाती निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
2— शिवराज आयु 25 वर्ष पुत्र मानसिंह जाति खाती निवासी राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)
(अपीलांटगण)

बनाम

1— आनन्दी बाई पत्नी स्व0 गोरया जाति खाती निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)
2— गोपाल पुत्र स्व0 गोरया जाति खाती निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)
3— जमना लाल पुत्र गोरया जाति खाती निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)
4— मुकेश पुत्र मानसिंह जाति खाती निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)
5— रामनारायण पुत्र स्व0 गोरया जाति खाती निवासी ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)
6— राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार छबडा जिला बारॉ (राज.)
(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी नामांतरण संख्या 530 दर्ज दिनांक 29.11.2010 वाके ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ की अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :— 1— श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांटगण)
2— अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट कम 1)
3— श्री गजेन्द्र कुमार नागर अभिभाषक (रेस्पो. कम 2 ता 5)
4— पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट कम 6)

निर्णय दिनांक 22.07.2025

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छबडा जिला बारॉ के तस्दीकी नामांतरण संख्या 530 दिनांक 29.11.2010 वाके ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.) से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 06.06.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पो. कम 01 अनुपस्थित है। रेस्पो. कम 2 ता 5 की ओर से श्री गजेन्द्र कुमार नागर अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक फोटो प्रति अपीलांट के अभिभाषक को उपलब्ध करवाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो. कम 6 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो प्राप्त होने पर प्रकरण मे लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर, उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छबडा से प्राप्त नामान्तरण की प्रमाणित प्रति को आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छबडा जिला बारॉ द्वारा दिनांक 29.11.2010 को खोले गये गलत नामान्तरण संख्या 530 से अप्रसन्न होकर यह अपील अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह कि माल ग्राम राजपुरा पटवार हल्का फलिया तहसील छबडा मे खाता संख्या नया 142 पुराना 142 की आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.2782 हेक्टेयर किस्म बरानी अलीफ लगानी 2.06 रूपया, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.0379 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.5185 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8346 हेक्टेयर कुल लगानी 6.17 रूपया बहैसियत खातेदार अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 5 के शामलाती खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजियात मद नं0 2 पूर्व मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 5 एवं मृतक सुशीला बाई पिता/दादाजी/ससुर गोरया पुत्र भंवरया कौम खाती सा0 देह के नाम बहैसियत खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी तथा सहखातेदार सुशीला बाई का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान का नाम पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र साथ संलग्न है। अपीलान्टस व रेस्पो0 क्रम 1 ता 5 एवं मृतक सुशीला बाई पिता/दादाजी/ससुर गोरया पुत्र श्री भंवरया कौम खाती निवासी राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ का स्वर्गवास होने के बाद रेस्पो0 क्रम 6 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा खोले गये फोती इन्तकाल संख्या 530 दिनांक 29.11.2010 मे अपीलांट क्रम 1 का नाम कालू पुत्र श्री मानसिंह हिस्सा 1/20 जाति खाती सा. देह खातेदार एवं अपीलांट क्रम 2 का नाबालिग मन्जू पुत्र मानसिंह संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/12 जाति खाती सा. देह खातेदार गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलांट क्रम 1 का वास्तविक नाम राधेश्याम पुत्र श्री मानसिंह जाति खाती निवासी राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.) व अपीलांट क्रम 2 का वास्तविक नाम शिवराज पुत्र श्री मानसिंह जाति खाती निवासी राजपुरा तहसील छबड़ा जिला बारॉ (राज.) है। जिसकी पुष्टि अपीलांट के आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिका से होती है।

यह कि अपीलान्टस के दादाजी श्री गोरिया जी की मृत्यु होने के बाद रेस्पोडेन्ट क्रम 6 के अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपीलान्ट के दादाजी का फोती इन्तकाल खोलते समय अपीलान्टस से कोई पूछताछ नही की और ना ही उसे कोई सूचना दी गई। मात्र ग्रामवासियान से औपचारिक जानकारी लेकर अपीलांन्टस के नाम से गलत इन्तकाल खोल दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि अपीलान्ट क्रम 1 का वास्तविक व सही नाम राधेश्याम व अपीलांट क्रम 2 का वास्तविक व सही नाम शिवराज है। अपीलान्ट के सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी दस्तावेज मे भी उसका नाम यही दर्ज है।

यह कि रेस्पो. क्रम 6 द्वारा खोला गया इन्तकाल नं0 530 दिनांक 29.11.2010 को निरस्त किया जाकर के अपील की मद नं0 2 मे अंकित खाता संख्या नया 142 पुराना 142 की आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.2782 हेक्टयर किस्म बरानी अलीफ लगानी 2.06 रूपया, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.0379 हेक्टयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.5185 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8346 हेक्टयर कुल लगानी 6.17 रूपया वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का फलिया तहसील छबडा के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी मे अपीलांट क्रम 1 के गलत नाम कालू पुत्र श्री मानसिंह हिस्सा 1/20 जाति खाती सा. देह खातेदार के स्थान पर सही नाम राधेश्याम पुत्र श्री मानसिंह हिस्सा 1/20 जाति खाती सा. देह खातेदार व अपीलांट क्रम 2 के गलत नाम नाबालिग मन्जू पुत्री मानसिंह संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/12 जाति खाती सा. देह खातेदार के स्थान पर सही नाम शिवराज पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/12 जाति खाती सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा क्योकि अपीलांट क्रम 2 पूर्ण बालिग हो चुका है जिसके प्रमाण हेतु दस्तावेज साथ संलग्न है।

यह कि अपीलांन्ट क्रम 1 का नाम राधेश्याम के स्थान पर कालू व अपीलांट क्रम 2 का नाम शिवराज के स्थान पर नाबालिग मन्जू जमाबन्दी मे गलत दर्ज होने से अपीलान्ट सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। अपीलान्टस द्वारा उक्त आराजी पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने व ई-मित्र संचालक द्वारा जमाबन्दी की नकल को देखने पर अपीलान्ट ने दिनांक 07.05.2025 को इन्तकाल की नकल प्राप्त की जिसमे अपीलान्ट क्रम 1 का नाम राधेश्याम के स्थान पर कालू व अपीलान्ट क्रम 2 का नाम शिवराज के स्थान पर नाबालिग मन्जू दर्ज होने की जानकारी हुयी तो अपीलांट ने रेस्पो. क्रमा 6 से नाम शुद्धिकरण करने हेतु निवेदन किया तो रेस्पो0 क्रम 6 ने नाम दुरूस्त करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि इन्तकाल की अपील लगवाकर इन्तकाल निरस्त करवाकर [illegible] तब आपका नाम सही होगा। इसलिये इन्तकाल आदेश दिनांक 29.11.2010 से दिनांक 07.0[illegible]025 [illegible] का समय अपील की अवधि से मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मध्य पे[illegible] पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divyanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कि रेस्पो. क्रम 1 ता 5 को सहखातेदार होने से इस अपील मे आवश्यक पक्षकार होने के नाते फार्मल पक्षकार बनाया गया है जिनके वि[illegible] कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छबडा द्वारा खोले गये फौती इन्तकाल नम्बर 530 दिनांक 29.11.2010 को निरस्त किया जाकर अपीलांट क्रम 1 का वास्तविक व सही नाम सभी दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे राधेश्याम पुत्र श्री मानसिंह हिस्सा 1/20 जाति खाती सा. देह खातेदार व अपीलांट क्रम 2 का वास्तविक व सही नाम सभी दस्तावेज के आधार पर शिवराज पुत्र श्री मानसिंह हिस्सा 1/20 जाति खाती सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुये कथन किया उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट क्रम 1 का नाम राधेश्याम पुत्र श्री मानसिंह जाति खाती सा0 देह खातेदार व अपीलान्ट क्रम 2 का नाम शिवराज पुत्र श्री मानसिंह जाति खाती सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज पर मनन किया गया जिससे पाया गया कि प्रकरण में फौती इंतकाल नंबर 530 दिनांक 29.11.2010 वाके ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारॉ जो गोरया की मृत्यु उपरांत नायब तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीक किया गया है। उसमे अपीलांट क्रम 1 के गलत नाम कालू पुत्र श्री मानसिंह हिस्सा 1/20 जाति खाती सा. देह खातेदार के स्थान पर सही नाम राधेश्याम पुत्र श्री मानसिंह हिस्सा 1/20 जाति खाती सा. देह खातेदार व अपीलांट क्रम 2 के गलत नाम नाबालिग मन्जू पुत्र मानसिंह संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/12 जाति खाती सा. देह खातेदार के स्थान पर सही नाम शिवराज पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/12 जाति खाती सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रकरण मे अपीलांट क्रम 01 व 02 का नाम दुरूस्त किये जाने हेतु रेस्पोडेन्टगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर सहमति व्यक्त की गई है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 530 दर्ज दिनांक 29.11.2010 वाके ग्राम राजपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज.) निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, छबडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारान को सुना जावे एवं अपीलांट क्रम 1 व 2 के वास्तविक नाम की विस्तृत जांच करवाई जाकर, विधिक प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार फौती इन्तकाल तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **22.07.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:34 IST
Reason: SelfAttested